जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद मऊ के विभिन्न विकास खण्ड के ग्राम पंचायतों/राजस्व ग्रामों की पाईप पेयजल योजनाओं के डीपीआर एवं जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जन जागरूकता अभियान हेतु नामित आईएसए जन कल्याण समिति के प्रथम क्लस्टर के प्रथम फेज (34 ग्राम पंचायत) तथा द्वितीय क्लस्टर के प्रथम फेज (40 ग्राम पंचायत) के प्रस्तुत बिल भुगतान की संस्तुति/स्वीकृति पर निर्णय लिये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय मऊ की अध्यक्षता में शासन द्वारा गठित समिति जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक दिनांक 09.04.2025 का

कार्यवृत्त

दिनांक 09.04.2025 को श्री प्रवीण मिश्र, जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, मऊ की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित रहे–

1– जिलाधिकारी, मऊ	–	अध्यक्ष।
2– मुख्य विकास अधिकारी, मऊ	–	सदस्य।
3– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मऊ	–	सदस्य।
4– मुख्य चिकित्साधिकारी, मऊ	–	सदस्य।
5– जिला विकास अधिकारी, मऊ	–	सदस्य।
6– अधिशासी अभियन्ता, सिचाई खण्ड, मऊ	–	सदस्य।
7– अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, मऊ	–	सदस्य।
8– परियोजना निदेशक, डीआरडीए, मऊ	–	सदस्य।
9– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मऊ	–	सदस्य।
10– जिला कृषि अधिकारी, मऊ	–	सदस्य।
11– जिला सूचना अधिकारी, मऊ	–	सदस्य।
12– अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मऊ	–	सदस्य सचिव।

भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार के निर्देशानुसार अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत "हर घर जल" योजना हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक, दिनांक 09.04.2025 को कैम्प कार्यालय पर समिति के सदस्यों की उपस्थिति में की गयी। शासनादेश संख्या 65/2022/3396/छिहत्तर–1–2022–03सम/2022 नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1, लखनऊ दिनांक 03.10.2022 मे दिये गये निर्देशानुसार जनपद मऊ के लिये सूचीबद्ध इम्प्लीमेन्ट सर्पोट एजेन्सी जन कल्याण समिति द्वारा प्रस्तुत प्रथम क्लस्टर के प्रथम फेज (34 ग्राम पंचायत) तथा द्वितीय क्लस्टर के प्रथम फेज (40 ग्राम पंचायत) में सम्पादित कार्यों की अद्यतन स्थिति एवं भुगतान के सम्बन्ध में चर्चा की गयी। भुगतान विल को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

1– अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण)/सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि समाज कल्याण ग्रामोद्योग संस्थान द्वारा प्रथम क्लस्टर के प्रथम फेज (34 ग्राम पंचायत) तथा द्वितीय क्लस्टर के प्रथम फेज (40 ग्रान पंचायत) में सम्पादित गतिविधियों के लिये भुगतान हेतु निम्नानुसार बिल प्रस्तुत किया गया।

(I) प्रथम क्लस्टर के प्रथम फेज 34 ग्राम पंचायतों में स्वच्छता एवं जागरूकता से सम्बन्धित गतिविधियों को सम्पादित करते हुये 17 जिल्दों में कार्यवाही एवं लैट–लॉग युक्त फोटों के साथ 1449250.00 (चौदह लाख उन्चास हजार दो सौ पचास रूपये) मात्र का बिल प्रस्तुत किया गया है। अधिशासी अभियन्ता जल निगम एवं खण्ड विकास अधिकारी के सत्यापनोपरान्त मानक पूर्ण न होने तथा पाये गये कमियों के दृष्टिगत 270482.00 रूपये की कटौती की गयी। कटौती के पश्चात 1178768.00 (ग्यारह लाख अठहत्तर हजार सात सौ अंडसठ रूपये) के भुगतान की संस्तुति की गयी। मुख्य विकास अधिकारी महोदय के निर्देशन में जिला विकास अधिकारी (अध्यक्ष), जिला कार्यक्रम अधिकारी (सदस्य) तथा जिला समन्वयक डीपीएमयू (सदस्य) मऊ की उप समिति गठित कर के पुनः अभिलेखीय एवं स्थलीय सत्यापन कराया गया। उपसमिति द्वारा 1449250.00 (चौदह लाख उन्चास हजार दो सौ पचास रूपये के सापेक्ष 270482.00 कटौती करते हुये 1178768.00 (ग्यारह लाख अठहत्तर हजार सात सौ अंडसठ रूपये) का भुगतान किये जाने की संस्तुति की गयी। उल्लेखनीय है कि जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अनुमोदन के उपरान्त राज्य पेयजल एवं स्वच्छता समिति लखनऊ द्वारा भुगतान किया जायेगा।

(II) द्वितीय क्लस्टर के प्रथम फेज 40 ग्राम पंचायतों में स्वच्छता एवं जागरूकता से सम्बन्धित गतिविधियों को सम्पादित करते हुये 17 जिल्दों में कार्यवाही एवं लैट–लॉग युक्त फोटों के साथ 1705000.00 (सत्रह लाख पाँच हजार रूपये) मात्र का बिल प्रस्तुत किया गया है। अधिशासी अभियन्ता जल निगम एवं खण्ड विकस अधिकारी के सत्यापनोपरान्त मानक पूर्ण न होने तथा पाये गये कमियों के दृष्टिगत 281285.00 रूपये की कटौती की

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

गयी। कटौती के पश्चात 1423715.00 (चौदह लाख तेइस हजार सात सौ पंद्रह रुपये) के भुगतान की संस्तुति की गयी। मुख्य विकास अधिकारी महोदय के निर्देशन में जिला विकास अधिकारी (अध्यक्ष), जिला कार्यक्रम अधिकारी (सदस्य) तथा जिला समन्वयक डीपीएमयू (सदस्य) मऊ की उप समिति गठित कर के पुनः अभिलेखीय एवं स्थलीय सत्यापन कराया गया। उपसमिति द्वारा 1705000.00 (सत्रह लाख पाँच हजार रूपये) के सापेक्ष 281285.00 कटौती करते हुये 1423715.00 (चौदह लाख तेइस हजार सात सौ पंद्रह रूपये) का भुगतान किये जाने की संस्तुति की गयी। उल्लेखनीय है कि जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अनुमोदन के उपरान्त राज्य पेयजल एवं स्वच्छता समिति लखनऊ द्वारा भुगतान किया जायेगा।

(।।।) यह भी अवगत कराया गया कि शासनादेश संख्या 65/2022, 03 अक्टूबर 2022 नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1 के निर्देशानुसार समिति के अनुमोदन के पश्चात उक्त बिल का भुगतान राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ द्वारा किया जाना है।

उपरोक्तानुसार सर्व सम्मति से जन कल्याण समिति के प्रथम क्लस्टर प्रथम फेज के 34 ग्राम पंचायतों के लिये 1178768.00 (ग्यारह लाख अठहत्तर हजार सात सौ अंडसठ रूपये) तथा द्वितीय क्लस्टर के प्रथम फेज के 40 ग्राम पंचायतों के लिये 1423715.00 (चौदह लाख तेइस हजार सात सौ पंद्रह रुपये) भुगतान हेतु अग्रेतर कार्यवाही की सहमति प्रदान की गयी।

अधिशासी अभियन्ता,
जल निगम, (ग्रामीण) मऊ/सदस्य सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, मऊ

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
मऊ/सदस्य

जिला कृषि अधिकारी,
मऊ/सदस्य

जिला सूचनाधिकारी,
मऊ/सदस्य

अधिशासी अभियन्ता,
सिचाई खण्ड, मऊ/सदस्य

अधिशासी अभियन्ता,
नलकूप खण्ड,
मऊ/सदस्य

परियोजना निदेशक,
डीआरडीए, मऊ/सदस्य

जिला विकास अधिकारी,
मऊ/सदस्य

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मऊ/सदस्य

मुख्य चिकित्साधिकारी,
मऊ/सदस्य

मुख्य विकास अधिकारी
मऊ/सदस्य

(प्रवीण मिश्र)
आई.ए.एस
जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता
मिशन, मऊ

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner